संख्या-64/2025/789/छप्पन-2025-06/2016

प्रेषक,

ईशान प्रताप सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 30 जून, 2025

विषयः जनपद मेरठ में हवाई पट्टी के निर्माण हेतु मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराई गई 46.53 एकड़ भूमि के अवशेष मूल्य के भुगतान हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-55/आर0सी0एस0-2025 एम 1/2018 दिनांक 06 जून, 2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद मेरठ में हवाई पट्टी के निर्माण हेतु मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराई गई 46.53 एकड़ भूमि के अवशेष मूल्य के भुगतान हेतु रू0 6,69,30,729/- (रूपए छः करोड़ उनहत्तर लाख तीस हजार सात सौ उनतीस मात्र) की वित्तीय स्वीकृति तथा स्वीकृत धनराशि को जिलाधिकारी, मेरठ के निवर्तन पर रखे जाने की अनुमति दिए जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में जनपद मेरठ में हवाई पट्टी के निर्माण हेतु मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराई गई 46.53 एकड़ भूमि के अवशेष मूल्य के भुगतान हेतु रू0 6,69,30,729/- (रूपए छः करोड़ उनहत्तर लाख तीस हजार सात सौ उनतीस मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल सहर्ष निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करती है:-

(1) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। प्रस्तावित धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा। निदेशक, नागरिक उड्डयन स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपभोग वर्तमान वित्तीय वर्ष में ही करना सुनिश्चित करेंगे।

(2) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी निदेशक, नागरिक उड्डयन की होगी।

(3) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह भी सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(4) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, नागरिक उड्डयन का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश निदेशक, नागरिक उड्डयन बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(5) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

(6) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

(7) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 27 मार्च, 2025 के अन्तर्गत उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) प्रस्तावित धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा।

(9) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

(10) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 27 मार्च, 2025 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

3- निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा उक्त स्वीकृत धनराशि रू0 6,69,30,729/- (रूपए छः करोड़ उनहत्तर लाख तीस हजार सात सौ उनतीस मात्र) तत्काल आवंटित कर जिलाधिकारी, मेरठ के निर्वतन पर रखी जायेगी तथा स्वीकृति उपरान्त जिलाधिकारी, मेरठ द्वारा मेरठ विकास प्राधिकरण की धनराशि का भुगतान किया जाएगा और भूमि को राजस्व अभिलेखों में श्री राज्यपाल द्वारा निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ०प्र० के नाम दर्ज कराया जाएग

4- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-38 के अधीन पूंजीगत लेखा "लेखाशीर्ष 5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-02-विमानपत्तन-800-अन्य व्यय-20-हवाई पट्टियों के निर्माण, विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण तथा भूमि अर्जन-60-भूमि क्रय" से वहन किया जाएगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्याः ई-7-18/दस-2025, दिनांक 27 जून, 2025 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे है।

भवदीय
(ईशान प्रताप सिंह)
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-64/2025/789(1)/छप्पन-2025, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- उप महालेखाकार/ई0एस0 ।।।, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3- प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन।
4- आयुक्त, मेरठ।
5- जिलाधिकारी, मेरठ।
6- अध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।
7- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/कोषाधिकारी, मेरठ।
8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/नियोजन अनुभाग-4
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभिनव कुमार चौरसिया
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।